कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला–सुकमा (छ0ग0)

Email –spsukma.cg@gmail.com, Office No. 07864-284101,102 Fax No.07864-284103

कमांक / पु0अ0 / सुकमा / रीडर / 191 / 2016. दिनांक / 02 / 2016

प्रति,

श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला एवं सत्र न्यायालय, दन्तेवाडा
जिला – दन्तेवाडा (छ0ग0)।

विषय :– श्री प्रभाकर ग्वाल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुकमा द्वारा अपराधों के विवेचकों का मानसिक प्रताड़ना के संबंध में।

—::00::—.

जिला सुकमा एक घनघोर नक्सल प्रभावित जिला है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन के सदस्यों द्वारा आये दिन सड़कों पर आईईडी लगाकर विस्फोट करना, नक्सली बंद के दौरान सड़क मार्गों को काटना व निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों की गैर कानूनी जनअदालत लगाकर बिना कानून व्यवस्था की परवाह किये क्रूर तरीके से हत्या करना रोजमर्रा की घटनाएं बन गयी है (संलग्न कुछ पेपर कतरन)। जो मीडिया में आते रहता है। इन विपरीत परिस्थितियों में रहकर एवं जान जोखिम में डालकर फोर्स के द्वारा घनघोर जंगल में विपरित परिस्थितियों में नक्सल विरोधी ऑपरेशन संचालित किये जाते है। नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमला कर अबतक सैकड़ो सुरक्षा बलों की हत्या कर चुके हैं। समय–समय पर फोर्स द्वारा इन नक्सलियों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रकिया के अनुसार माननीय सुकमा सीजेएम न्यायालय पेश किया जाता है। गिरफ्तार आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश किये जाने पर माननीय न्यायालय सुकमा द्वारा केश डायरी एवं अभियोग पत्र पेश करने पर निम्नलिखित रूप से परेशान किया जा रहा है :–

01. नक्सली प्रकरणों में गिरफ्तार / फरार अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोगपत्र पेश करने पर प्रकरण के अन्य फरार आरोपियों के विरूद्ध पूरक चालान पेश करने का लेख कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो न्यायालय द्वारा पूरक चालान नही लेने को कहा जाता है। प्रथम रिमाण्ड में ही यथाशीघ्र चालान पेश करने हेतु निर्देशित दिया जाता है।

02. गिरफ्तार नक्सल आरोपियों को पेश किये जाने पर निर्दोषों को पकड़ कर लाये हो कहकर विवेचको को फटकार लगाया जाकर लगातार प्रताडित किया जाता है, जिसका समय–समय पर विवेचको द्वारा मौखिक रूप से व कुछ ने लिखित में शिकायत पुलिस अधीक्षक / अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को किया है (विवेचकों का पुलिस अधीक्षक को आवेदन व संबंधित रोजनामचा सान्हा संलग्न)।

03. जो भी विवेचक रिमांड स्तर पर आरोपीगण के साथ उपस्थित होते है, उन्हे यह कहकर भयभीत किया जाता है कि तुम्हारी कार्यवाही फर्जी है मैं तुमको और तुम्हारे ऊपर के पुलिस अधिकारियों को जेल भेज दुंगा। इस कारण विवेचनाधिकारी माननीय सी.जे.एम. से अत्यधिक प्रताडित है। एवं विवेचना में परेशानी का सामना करना पड रहा है। सीजेएम द्वारा विवेचकों के प्रति अपशब्दों व गाली गलौच का भी प्रयोज किया जाता है। पूर्व में भी जगदलपुर में ए.डी.जे. एवं एसडीओपी के बीच विवाद में एसडीओपी द्वारा आत्महत्या की जा चूकी है। यहां भी किसी प्रकार की अन्य गंभीर घटना घटित होने से इंकार नही किया जा सकता।

भवदीय

अनुविभागीय अधिकारी पुलिस
सुकमा

सीजेएम महोदय द्वारा पुलिस कर्मियों एवं पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करना न्यायालयीय गरिमा को कम करता है।

अतः प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नः– 01 विवेचकों द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दिया आवेदन पत्र।
02. रोजनामचा सान्हा की प्रति।
03. अन्य संलग्नक कुछ पेपर कतरन।

पुलिस अधीक्षक
जिला – सुकमा (छ0ग0)

क/पु0अ0/सुकमा/रीडर/ 191 /2016, दिनांक 08/02/2016
प्रति :–

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0) की सादर सूचनार्थ।
02. पुलिस महानिदेशक (अभियोजन), रायपुर (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ।
03. विशेष पुलिस महानिदेशक (एएनओ/विआशा), पु0मु0 रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
04. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता), पु0मु0 रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
05. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ
06. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ।

सत्यापित
अनुविभागीय अधिकारी पुलिस
सुकमा

पुलिस अधीक्षक
जिला – सुकमा (छ0ग0)